विविध बैंक प्रकरण संख्या 39/2021(GCMS : 2021/108) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मोहन लाल इन्दालिया **बनाम** श्री राकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 26 के, रेल्वेलाईन के साथ, वार्ड नं. 4, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने अप्रार्थी राकेश कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति Registration No. RJ13CD0464, Hypothecated Vehicle Maruti Suzuki India Ltd, Model Name EECO 5 Seater With AC, Engine No. G12BN762141, Chassis No. MA3ERL1A00777986 का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 26.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी राकेश कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राकेश कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति Registration No. RJ13CD0464, Hypothecated Vehicle Maruti Suzuki India Ltd, Model Name EECO 5 Seater With AC, Engine No. G12BN762141, Chassis No. MA3ERL1A00777986 का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और अब चूंकि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि ऋणी द्वारा करवा जमा करवा दी गई है इसिलए प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, सादुलशहर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested